रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 172] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 13, 1989/भाद्र 22, 1911
No. 172] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 13, 1989/BHADRA 22, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(आयात व्यापार नियंत्रण)

सार्वजनिक सूचना सं. 162 आई टी. सी. पी एन./88-91

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 1989

विषय:—आयात तथा निर्यात नीति 1988-91 (खण्ड 1)

फा.सं. 6/107/88—ई.पी.सी.—वाणिज्य मंत्रालय की 30 मार्च, 1988 की सार्वजनिक सूचना स. 1—आई. टी. सी. (पी. एन.)/88—91 के अंतर्गत प्रकाशित यथा संशोधित आयात तथा निर्यात नीति 1988—91 (खण्ड 1) की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. उक्त नीति में उपयुक्त स्थानों पर निम्नलिखित संशोधन किए —

क्रम स.	आयात निर्यात नीति 1988 91 (खण्ड 1) की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधन
1	2	3	4
(1)	83	अध्याय—21 हीरा रत्न तथा आभूषण भाग—1 पैरा 293	मौजूदा पैरा 293 में निम्नलिखित अनुसार संशोधन किया जाए:— "293 (1) उपयुक्त कच्ची सामग्री का प्रयोग करके कटे हुए और पालिश किए हुए हीरों के निर्यात क, यूनिट मूल्य बढाने के के लिए, आयातित हीरों (बिना कटे तथा बिना पालिश किए) उपर्युक्त पर. 291 में उल्लिखित एजेंसियों द्वारा सप्लाई किए गए को छोड़कर, का पुन निर्यात करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर दी जाएगी:—

(1)	(2)	(3)	(4)
			(1) (क). हीरा व्यापार निगम लंदन से आयात के मामले में पुन: निर्यात आयातित बिना कटे/बिना पालिश किए हुए हीरों के मूल्यों के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
			(ख) आयात अगर सीधे खानों से, खानों में हीरे जिस स्थिति में हों उसमें किया जाता है तो पुन: निर्यात आयातित बिना कटे तथा बिना पालिश किए हीरों के मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
			(ग) अगर आयात उपर्युक्त (क) और (ख) से भिन्न स्रोतों से किया जाता है तो पुन: निर्यात का प्रतिशत आयातित बिना कटे बिना पालिश किए हीरों के मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, और
			(2) इन प्रावधानों के अनुसार किए गए पुन: निर्यात लागत बीमा भाड़ा मूल्य के 100 प्रतिशत की दर पर आयात प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे। इसमें से कमीशन सहित बिना कटे और बिना पालिश किए हीरों के पुन: निर्यात की विदेशी मुद्रा लागत को घटाया जाएगा अर्थात् ऐसे पुन: निर्यात के सभी खर्चों को पूरा करने के बाद शुद्ध विदेशी मुद्रा की प्राप्ति की ही गणना की जाएगी।
			(2) ऐसे अपरिष्कृत हीरों के पुन: निर्यात के लिए प्रतिपूर्ति लाइसेंस के आवेदन पत्र संबंधित क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी को निम्नलिखित के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिए: -
			(1) एक वित्तीय वर्ष के दौरान अपरिष्कृत हीरों के वास्तविक निर्यात को दर्शाने वाले पोत परिवहन बिलों की सीमाशुल्क द्वारा सत्यापित प्रतियां ;
			(2) उपर्युक्त (1) में दिए गए वित्तीय वर्ष के लिए आवेदक द्वारा प्राप्त की गई आर०ई०पी./हीरा अग्रदाय/हीरा व्यापार निगम अग्रदाय लाइसेंसों की फोटो कापियों, और
			(3) अगर कमीशन का भुगतान किया गया है तो उसे शामिल किया गया है तो उसे शामिल करके ऐसे पुन: निर्यात पर किए गए खर्चों से संबंधित पूरे ब्यौरे
			(3) इन प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन पत्र तिमाही/अर्द्धवार्षिक/वार्षिक आधार भेजे जाने चाहिए।"

3. नीति के उपपैरा 293 (1) (i) (ग) में शामिल श्रेणी के संबंध में ये प्रावधान केवल उन्हीं अपरिष्कृत हीरों के पुन: निर्यात पर लागू होंगे जिनका आयात इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने के बाद किया गया है ;

4. उपर्युक्त संशोधन लोकहित में किए गए हैं।

हस्ताक्षर

तेजेन्द्र खन्ना, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

Import Trade Control

Public Notice No. 162-ITC(PN)/88-91

New Delhi, 13th September, 1989

Subject:—Import & Export Policy, 1988—91 (Vol. I)

F. No. 6/107/88-EPC.—Attention is invited to the Import & Export Policy, 1988-91 (Vol. I), published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 1-ITC/(PN)/88-91 dated the 30th March, 1988, as amended.

2. The following amendments shall be made in the said policy at appropriate places indicated below:—

Sl. No.	Page No. of the Import & Export Policy, 1988-91 (Vol. I)	Reference	Amendments
1	2	3	4
(1)	83	Chapter-XXI Diamonds, Gem and Jewellery Part-I Para 293	The existing para 293 shall be amended under:— "293(1). In order to increase the unit value of export of cut and polished diamonds by use of appropriate rough materials, the re-export of imported diamonds (uncut and unpolished), other than those supplied by the agencies referred to in para 291 above, may be allowed subject to the following conditions :— (i) (a) In case import is made from DTC, London, the re-export shall not exceed 5 per cent of the value of the uncut/unpolished diamonds imported; (b) In case imports are made directly from the mines, in the run-of-the mine condition, re-export shall not exceed 10 percent of the value of the uncut and unpolished diamonds imported: (c) In case imports are made from sources other than (a) & (b) above, the re-export shall not exceed 5 per cent of the value of the uncut/unpolished diamonds imported; and (ii) Re-export made in accordance with these provisions will be eligible for import replenishment at the rate of 100 per cent of the c.i.f. value minus foreign exchange cost of such re-export of uncut and unpolished diamonds including commission, etc.,i.e. only net receipt of foreign exchange after meeting all expenses of such re-exports will be reckoned. (2) Application for replenishment licneces against re-export of such rough diamonds may be submitted to the regional licensing authority concerned alongwith: (i) Customs attested copies of shipping bills showing actual export of rough diamonds during a financial year; (ii) Photocopy of the REP/Diamond Imprest/DTC Imprest licences received by the applicant for the financial year in (i) above, and (iii) Full particulars relating to expenses for such re-exports, including commission paid, if any. (3) Applications under these provisions should be on quarterly/half yearly/yearly basis".

3. In respect of the category covered by sub-para 293(1)(i)(c) of the policy, these provisions will apply to the re-export of only those rough diamonds which have been imported after the issue of this Public Notice.

4. The above amendments have been made in public interest.

Sd/-
TEJENDRA KHANNA, Chief Controller of Imports & Exports

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989